राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1512 एवं 1513/2017.....जिला.....अलवर.....

उनवान–मैसर्स जे0पी0स्टील्स, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म क तामील में जारी हुए
12.12.2017	**खण्डपीठ** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विवेक सिंघल एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित। यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशियां रू0 76,94,536/– एवं 79,293/– रू0 की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है	

अ.सं.	वित्तीय वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	कुल
1	2	3	4	5	6
1512/17	11–12	19,33,990	18,92,566	38,67,980	7694536
1513/17	11–12	19,930	19,503	39,860	79293

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई विधिक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष लिखित जवाब पेश कर अंकित किया कि उसके द्वारा पंजाब से जरिये ई–1 प्रपत्र के माल की खरीद की गई है किन्तु भूलवश खरीद व्यापार खाते में अंकित नहीं की गई। अतः राज्य के बाहर से खरीदकर उसकी मार्गस्थ बिक्री कर दिये जाने, लेकिन बहीखाते में उक्त का इन्द्राज नहीं होने के बावजूद भी, इस अघोषित व अलेखांकित अन्तर्राज्यीय खरीद पर कर के आरोपण का प्रश्न नहीं उठता है। नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश "सी' प्रपत्र और ई–1 प्रपत्र स्वीकार कर, कर निर्धारण आदेश पारित किया जा चुका है। तृतीय पक्ष द्वारा की गई शिकायत के आधार पर जांचकर्ता को नोटिस जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति अविधिक है। उक्त आदेश वेट अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया गया है। जबकि धारा 6(2) के तहत की गई बिक्री का कर निर्धारण सीएसटी एक्ट के तहत किया जाना चाहिए था। अतः मांग राशियों के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी ।

लगातार.....2.

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्रों अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष लिखित जवाब पेश कर अंकित किया गया कि व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (CST) की धारा 6(2) के तहत राज्य के बाहर पंजाब से जरिये ई–1 प्रपत्र के माल की खरीद की गई है। किन्तु भूलवश खरीद व्यापार खाते में अंकित नहीं की गई। यह खरीद राज्य के बाहर से करके धारा 6(2)(CST) राज्य के बाहर विक्रय की गयी है। अतः राज्य के बाहर से खरीद कर उसकी मार्गस्त बिक्री कर दिये जाने से बहिखातों में भूलवश इन्द्राज नहीं होने से इस अघोषित व अलेखांकित अन्तर्राज्य खरीद पर करारोपण विधि सम्मत नहीं है।

व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब से यह स्पष्ट है व्यवहारी द्वारा धारा 6(2) के तहत मै0 कृष्णा इन्डस्ट्रीज से प्रपत्र ई–1 के द्वारा राज्य के बाहर से जो माल क्रय किया गया उस माल को उसने अपने व्यापार खाते में इन्द्राज नहीं किया। इस क्रय का सत्यापन करने पर घोषित क्रय राशि में अन्तर पाया गया। खरीद को व्यापार खाते में अंकित नहीं करने व कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष भी जवाब के साथ बिल इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रकरण के इस प्रक्रम पर कर राशि एवं ब्याज के संबंध में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है तथा इस संबंध में सुविधा का संतुलन भी अपीलार्थी की अपेक्षा राजस्व के पक्ष में प्रतीत होता है। किन्तु जहां तक शास्ति का प्रश्न है कि प्रकरण अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है तब प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए शास्ति के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 38(4) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से इस प्रकर स्वीकार किया जाकर है कि उक्त दोनों प्रकरणों में वसूल योग्य राशि में से शास्ति की राशि की वसूली कार्यवाही को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष संतोषप्रद जमानत (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगित किया जाता है। इस शर्त का उल्लघंन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझाा जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करें।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

12/12/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य